न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 06//2017

1. परमेश्वरी देवी स्त्री नन्दराम जाति समस्त जाट निवासी कोदेसर तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र नन्दराम जाति समस्त जाट निवासी कोदेसर तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
3. मुकेश कुमार पुत्र नन्दराम जाति समस्त जाट निवासी कोदेसर तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ मलसीसर।
2. प्यारेलाल पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी कोदेसर तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
3. विद्याधर पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी कोदेसर तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।

– रेस्पोडेन्टस

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर निर्णय दिनांक 22.09.2016 बअदालत हाल खसरा नंबर 604 वाके ग्राम कोदेसर में से रास्ता खोलने के आदेश के विरूद्ध।

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट ––––– ––– – ––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––––––राज0 राज्य की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 11.03.2020

उक्त अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर निर्णय दिनांक 22.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि –जमीन हाल खसरा नंबर 604 रकबा 2.84 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम कोदेसर तहत तहसील मलसीसर में स्थित है। हाल खसरा नंबर 604 के अपीलांट कोटीनेट है। रेस्पोंडेंट नंबर 2 व 3 के द्वारा दिनांक 21.09.2016 को उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के यहां एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि जमीन हाल खसरा नंबर 604 के खातेदारों द्वारा खाई लगाकर तथाकथित रूप से रास्ता रोक दिया। उक्त आशय के प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ने तहसीलदार मलसीसर को कार्यवाही हेतु दिनांक 22.9.2016 को भेजा। तहसीलदार मलसीसर ने दिनांक 22.09.2016 को आलौच्य आदेश पारित कर रास्ता खोलने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 21.09.2016 को रेस्पोंडेंट नंबर 2 व 3 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के यहां जो प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें रेस्पोडेन्ट नंबर 2 व 3 ने यह लिखा है कि हमारे खेत

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

खसरा नंबर 594 में से होकर आम रास्ता कटानी नयासर से सुरा का बास जाता है जो पहले खेत खसरा नंबर 604 से गुजरता है। खसरा नंबर 604 के मालिक अपीलांट है। जो खसरा नंबर 604 में बार–बार खाई लगाकर बंद करवा देते हैं। रेस्पोडेंट नंबर 2 व 3 द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र में जो तथ्य लिखे हैं, वो धारा 251 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की परिधि में आत हैं। इस कारण तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.9.2016 की अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि 1955 की परिधि में आते हैं। इस कारण तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2016 की अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 के तहत न्यायालय में पेश की जा रही है। अदालत मातहत तहसीलदार मलसीसर ने आलौच्य निर्णय दिनांक 22.09.2016 पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की ।अदालत मातहत तहसीलदार मलसीसर को उक्त प्रकरण धारा 251 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के तहत दर्ज कर कानून से अपीलांटस को नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था। लेकिन अदालत मातहत ने अपीलांट को बिना नोटिस जारी किये तथा अपीलांटस को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट्स की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 604 में से गलत रूप से रास्ता खोलने का आदेश पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अपीलांटस के खेत खसरा नंबर 604 में से कभी कोई रास्ता रेस्पोडेंट नंबर 2 व 3 के खेत में से आने जाने के लिये नहीं रहा। अपीलांट्स के खेत खसर नंबर 594 के पुख्ता आम रास्ता व सड़क लगती है। जहां से रेस्पोडेंट नंबर 2 व 3 आते जाते रहे हैं। अपीलाट्स के खेत खसरा नंबर 604 में से डोट लाईन से जो सिजनल रास्ता दर्शित किया है वह गलत रूप से अंकित किया है। जहां से डोट डोट से जो रास्ता अंकित किया है वह काफी वर्षों से अनुपयोग हो चुका है। मौजुदा प्रकरण में धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते। धारा 251 के तहत उसी रास्ते को खुलवाया जा सकता है जो कदीमी चालू हो तथा किसी खातेदार ने बंद कर दिया हो। मौजुदा प्रकरण में अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रास्ता चालू होने बाबत व अवरोध कारित करने बाबत कोई रिपोर्ट नहीं ली। अदालत मातहत ने आशय पूर्वक तुरन्त दिनांक 22.9.2016 को नायब तहसीलदार बिसाउ को नियमानुसार रास्ता खोलकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना सुने दिया है,जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अदालत मातहत ने उपखण्ड अधिकारी मलसीसर से प्राप्त शिकायत की बिना हल्का पटवारी रिपोर्ट प्राप्त किये बिना

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू.

मुकदमा दर्ज किये, और पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एक प्रार्थना पत्र पर अपीलांट की खातेदारी भूमि से रास्ता खोले जाने का तुगलिकी आदेश पारित किया है जो नसैर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। ऐसी स्थिति में पारित आदेश विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जावे।

दौरानें बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर कई बार रास्ते को खोला गया है। विवादित रास्ता खोला जा चुका है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में जमीन हाल खसरा नंबर 604 के अपीलांट कोटीनेट है। रेस्पोंडेंट नंबर 2 व 3 के द्वारा दिनांक 21.09.2016 को उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के यहां एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि जमीन हाल खसरा नंबर 604 के खातेदारों द्वारा खाई लगाकर तथाकथित रूप से रास्ता रोक दिया। इस प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा तहसीलदार मलसीसर को दिनांक 22.9.2016 को कार्यवाही हेतु भेजा गया है और तहसीलदार मलसीसर द्वारा बिना प्रकरण दर्ज किये बिना पक्षकरान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 22.09.2016 को आलौच्य आदेश पारित कर रास्ता खोलने का आदेश दिया है जो विधिक प्रावधानों के विपरित है। जहां तक पूर्व में भी उक्त रास्ते को खोले जाने का प्रश्न है पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं जिससे यह प्रतीत होता हो कि तहसीलदार द्वारा पूर्व में प्रकरण दर्ज कर उक्त रास्ता खोले जाने का आदेश किया हो और दुबारा से अपीलांट द्वारा रास्ता बंद किया गया हो। इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार मलसीसर को प्रकरण दर्ज कर सभी पक्षकरारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करके विधिक प्रावधानों के अन्तगर्त निर्णय पारित करना था जो उनके द्वारा नहीं किया जाकर सीधे ही प्रार्थना पत्र पर रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। अतः ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.9.2016 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वे पुनः प्रकरण दर्ज का विवादित रास्ते का स्वयं मौका निरीक्षण कर विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ

जिला कलेक्टर
झुंझुनू

न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू